बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1–03/2019 2174 /पटना, दिनांक 04/12/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) –सह– जिला पदाधिकारी,
सभी नोडल पदाधिकारी (स०स०) –सह– उप विकास आयुक्त,
सभी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) –सह– अनुमंडल पदाधिकारी,
सभी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)–सह– जिला सहकारिता पदाधिकारी,
सभी निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) –सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी ।

विषय: **अभ्यर्थियों के नाम मत–पत्र में अंकित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) –सह– प्रखंड विकास पदधिकारी, रहुई (नालन्दा) द्वारा प्राधिकार के निदेश के विपरीत प्राथमिक कृषि साख समिति के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों का नाम प्रपत्र– ई 6 में वर्णानुक्रम में अंकित नहीं किया गया है तथा प्रतीक आवंटन एवं मत पत्र की तैयारी भी तद्नुरूप कर ली गयी है। कई क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा भी इस संदर्भ में पृच्छा की जा रही है।

विदित हो कि सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (01 जुलाई, 2019 तक संशोधित) में प्रपत्र– ई 6 में अभ्यर्थियों का नाम वर्णानुक्रम में अंकित करने तथा तद्नुरूप प्रतीक आवंटन एवं मतपत्रों पर अभ्यार्थियों के नाम के लिए समुचित निर्देश दिये गये हैं। बावजूद इसके प्राधिकार के पत्रांक 1322 दिनांक 22.09.2014 का सहारा लेकर अनावश्यक उलझनें उत्पन्न की गयी हैं।

स्पष्ट है कि प्रपत्र ई–6 वर्णानुक्रम के अनुसार तैयार करना था तथा वर्णानुक्रम रूप में ही प्रतीक आवंटन भी किया जाना था। फिर भी यदि किसी निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) द्वारा वर्ष 2014 के उक्त पत्र के अनुसार प्रतीक आवंटन किया गया है, तो स्पष्ट करना है कि अभ्यर्थियों को आवंटित प्रतीक यथावत रहेंगे, किन्तु मतपत्र हिन्दी वर्णानुक्रम के अनुसार मुद्रित होंगे तथा प्रपत्र– ई 6 वर्णानुक्रम रूप में संशोधित कर तुरंत प्रकाशित किये जायेंगे एवं इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध करा दी जायगी । कृपया उक्त निदेश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,
04.12.19
(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

BSEA dt..04.12.2019 Raghu